कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद

आदेश सं0/निजी बी.टी.सी./ 11 /2009–10 दिनांक : 17-3-2010

सम्बद्धता आदेश

शासनादेश सं0 2115–15–11–09–1499(184)/2002 दिनांक 25.11.2009 एवं शासनादेश सं0 85–15–11–2010 दिनांक 18.01.2010 के परिप्रेक्ष्य में निजी शिक्षण संस्थाओं को बी0टी0सी0 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालन के सम्बन्ध में आपके आवेदन पत्र दिनांक 22.01.2010 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जो आपके संस्थान को शैक्षिक सत्र 2010–11 से सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में है।

तद्नुसार निरीक्षण पैनल की आख्या के आधार पर शासनादेश संख्या 7800(वीएस)/प्रा.बी.टी.सी.–11/2010 दिनांक 17–03–2010 के क्रम में **राजेन्द्र प्रसाद पी0जी0 कालेज, मीरगंज, बरेली** को शैक्षिक सत्र 2010–11 से 50 सीटों के लिये सशर्त सम्बद्धीकरण निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किया जाता है : –

1. संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के संयुक्त परिचालन में रखना होगा।
2. भूमि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 की संगत नियमावली के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
3. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षणार्थियों हेतु निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय–सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
4. एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो व्यवस्था, मानक बनाये जाते हैं अथवा वर्तमान व्यवस्था एवं मानकों में जो परिवर्तन किये जाते हैं, वह संस्थानों पर बाध्यकारी होंगे।
5. सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मान्क के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी अभिलेख होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
6. एन0सी0टी0ई0 द्वारा जारी मान्यता आदेश के पैरा 3 में निहित प्राविधान के अनुरूप संस्थान द्वारा निम्नलिखित अवशेष कार्यवाही सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय–
   - आवेदित पाठ्यक्रम संचालन हेतु भवन का सीमांकन करा लिया जाए।
   - भवन पूर्णता के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
   - सुरक्षित कोष का नवीनीकरण करा लिया जाय।